पत्र-संख्या एम0-4-11/2006 - 2947 वि0(2)

बिहार सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

प्रेषक,

के0 एम0 शर्मा,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/ सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी आरक्षी महानिरीक्षक,
सभी आरक्षी उपमहानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक ।

पटना, दिनांक-09.05.2006

विषयः- सरकारी खर्च पर समाचार पत्र तथा पत्रिकायें खरीदने एवं टी.वी. के संबंध में ।

महाशय,

वित्त विभागीय पत्रांक 8ए.ई.30-34/79-9345/वि. दिनांक-5 जुलाई,1978 द्वारा समाचार पत्र/पत्रिका क्रय के संबंध में प्रावधान किया गया था । इस प्रावधान में राशि की सीमा निर्धारित नही की गई थी । अतः मितव्ययिता के दृष्टिकोण से एवं लोकहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त पत्र को अवक्रमित करते हुये राज्य सरकार ने सरकारी खर्च पर समाचार पत्र तथा पत्रिकायें खरीदने एवं टी0वी0 के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये है :-

(i) महामहिम राज्यपाल, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य सरकार में मंत्रीगण, मंत्री स्तरीय दर्जा प्राप्त गणमान्य व्यक्तियों तथा राज्य सरकार के सचिव स्तरीय पदाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, आरक्षी महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों, जिला समाहर्ताओं, आरक्षी अधीक्षकों तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में सभी प्रमुख समाचार पत्र/पत्रिका अनुमान्य होंगे । इनकी अधिकतम सीमा 800/-रू0 प्रतिमाह होगी ।

(ii) उक्त कार्यालयों के लिए एक रंगीन टी0वी0 भी अनुमान्य होगा ।

(iii) सभी प्रमुख कार्यालयों में विभाग के विषय से संबंधित पत्रिकायें अनुमान्य होगी जिसके संबंध में आयुक्त एवं सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष निर्णय लेगें । इसकी अधिकतम सीमा 2000/- रूपये प्रतिमाह होगी ।

2. कुल व्यय कार्यालय व्यय में उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत ही सीमित रहेगा ।

3. यह सुविधा दिनांक-01.05.2006 से अनुमान्य होगी ।

विश्वासभाजन,

(के0 एम0 शर्मा)
संयुक्त सचिव ।